

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेन aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 3262 / 685

दिनांक :- 14/09/2017
19/09/2017

कार्यालय आदेश

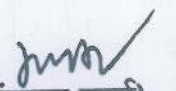
श्री /श्रीमती / सुश्री अशोक कुमार जैन [लिंक नं. 3262] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, बूंदी - [1067] जिनकी जन्म तिथि 15/01/1961 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 06/11/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 06/11/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री अशोक कुमार जैन की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 03/02/1981 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 3262 / 685

दिनांक :- 14/09/2017
19/09/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, बूंदी
4. कोषाधिकारी बूंदी
5. श्री /श्रीमती / सुश्री अशोक कुमार जैन [3262] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, बूंदी
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(बलवीर सिंह मोठवाल)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I))